



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 486 राँची, सोमवार,

3 नवम्बर, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2025 / 3 कार्तिक, 1947 (शक)

सं० 434/पूर्व अनु०-1/झार.-वि.स./2023(2):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, झारखण्ड विधान सभा के उप निर्वाचन, 2025 के दौरान मतों की गणना में निर्वाची पदाधिकारी की सहायता करने के लिए, स्तम्भ (1) में दर्शित विधान सभा क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा पूर्व में अधिसूचित अधिसूचना संख्या 434/पूर्व अनु०-1/झार.-वि.स./2023(2) दिनांक 04 अगस्त, 2023, समय समय पर यथा संशोधित के द्वारा नियुक्त सहायक निर्वाची अधिकारियों के अतिरिक्त, सहायक निर्वाची अधिकारियों के रूप में पदभिहित करता है; अर्थात्

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
45-घाटशिला (अ.ज.जा.)	4 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर 5 कार्यकारी अधिकारी, जुगसलाई नगर निगम

उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,

(अरविन्द आनन्द)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

25th October, 2025/ 3 Kartika, 1947 (Saka)

No. 434/ES-I/JKD-LA/2023(2):-In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby designates following officers as mentioned in column (2) of the table below, as Assistant Returning Officers, in addition to Assistant Returning Officers nominated vide its notification No. 434/ES-I/JKD-LA/2023(2) dated 04th August, 2023, as amended from time to time, to assist the Returning Officers in the following Assembly Constituencies mentioned in Column 1 of the table, for counting of votes during Bye Election to the Legislative Assembly of Jharkhand, 2025:-

TABLE

Serial number and Name of Assembly Constituencies	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
45-Ghatsila(ST)	4 Block Development Officer, Jamshedpur 5 Executive Officer, Jugsalai Municipal Corporation

The officers in Column 2 of the above table shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the successful completion process of counting of votes in concerned Assembly Constituency.

By Order,

(ARVIND ANAND)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
